

## प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01/07/2017 जनपद हमीरपुर-

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिनेश कुमार पी के निर्देशन मे जनपद हमीरपुर मे दिनांक-30.06.2017 को कानून व्यवस्था,अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियानो मे निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गयी ।

### -अवैध तमंचे के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 30.06.2017 को थाना बिंवार पुलिस द्वारा अभियुक्त-पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह निवासी सायर थाना बिंवार को 01अदद नाजायज तमंचा 315बोर, 02अदद कारतूस 315बोर के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-144/17,धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

-दिनांक 30.06.2017 को थाना जरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त-मोती भाट पुत्र जंगबहादुर निवासी कस्बा व थाना जरिया को 01अदद नाजायज तमंचा 315बोर, 02अदद कारतूस 315बोर के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-214/17,धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

-दिनांक 30.06.2017 को थाना मझगवां पुलिस द्वारा अभियुक्त-सुरेन्द्र पाल पुत्र जगपाल निवासी कोठा थाना मझगवां को 01अदद नाजायज तमंचा 12बोर, 02अदद कारतूस 12बोर के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-123/17,धारा-3/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

### -40 बोरी खेसारी ले जाते पिकप पकड़ी-

-दिनांक 30.06.2017 को थाना मुस्करा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01पिकप से 40 बोरी खेसारी बरामद की, अभियुक्त-रामसजीवन गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्ता मौके से फरार हो गया। प्रकरण के संबन्ध में थानाहाजा मे मु0अ0स0-158/17,धारा-2/3 खेसारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।

### -05ली0 कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 30.06.2017 को थाना ललपुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त-पंकज कुमार पुत्र मझयादीन निवासी पलसनी थाना ललपुरा को 01जरीकेन में 05लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-68/17,धारा-60 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया।

### -04 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही-

-दिनांक 30.06.2017 को कोतवाली प्रभारी राठ द्वारा अभियुक्त-1.गुट्टी यादव पुत्र जमूरा यादव निवासी मु0 चरखारी रोड़ कस्बा राठ 2.विपिन पुत्र हरगोविन्द निवासी चिल्ली राठ 3.धीरेन्द्र पुत्र रमेश लोधी निवासी धनौरी राठ 4.कपिल उर्फ वन्टा पुत्र महेश निवासी सरसई राठ की आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुये अभियुक्तों के विरुद्ध थानाहाजा मे मु0अ0स0-333/17 से 336/17,धारा-3UP गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी ।

### -03 वान्छित अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 30.06.2017 को थाना मौदहा पुलिस द्वारा मु0अ0स0-272/17,धारा-498ए/304 बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट के वांछित अभियुक्त-सुमित सिंह पुत्र स्व0 दिलीप सिंह निवासी टिकरी थाना मौदहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

-दिनांक 30.06.2017 को थाना मौदहा पुलिस द्वारा मु0अ0स0-568/16,धारा-323/353/504/506 भादवि के वांछित अभियुक्त-श्रीनाथ उर्फ रजा मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी मु0 गदाई थाना मौदहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

-दिनांक 30.06.2017 को थाना कुरारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0-72/17,धारा-147/148/149/307/506/323/324 भादवि के वांछित अभियुक्त-आदित्य उर्फ मोनू पुत्र ब्रजेन्द्र सिंह निवासी बेरी थाना कुरारा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

#### **-01 वारंटी गिरफ्तार-**

-दिनांक 30.06.2017 को थाना मुस्करा पुलिस द्वारा मु0अ0स0-1380/15,धारा-323/504 के वारंटी अभियुक्त-बिल्ला उर्फ चन्द्रभान पुत्र लल्लू निवासी थाना मुस्करा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

#### **-शान्तिभंग की आशंका मे 17 अभियुक्तों गिरफ्तार-**

-थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 30.06.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

-थाना मुस्करा पुलिस द्वारा दिनांक 30.06.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

-थाना सिसोलर पुलिस द्वारा दिनांक 30.06.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

-थाना मौदहा पुलिस द्वारा दिनांक 30.06.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

-थाना बिंवार पुलिस द्वारा दिनांक 30.06.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

-थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 30.06.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

#### **प्रेस विज्ञप्ति वाहन चेक दिनांक- 30.06.2017 जनपद हमीरपुर**

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिनेश कुमार पी के आदेशानुसार यातायात व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के समस्त थानों में दो पहिया व चार पहिया वाहनो का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में हैलमैट,डी.एल ,वीमा, व आवश्यक कागजो का ना होना, तीन सवारी, अवैध नम्बर प्लेट,सीट बैल्ट ना लगाना,ओवरलोडिंग आदि के खिलाफ कार्यवाही की गयी ।चेकिंग अभियान में समस्त थानों से चेक किये वाहनो में 64 वाहनो से 14,600रु0 सम्मन शुल्क वसूला गया।